

सेवा में,

माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश महोदय,  
मा० उच्च न्यायालय, प्रयागराज (उ०प्र०)

श्रीमान् जी.

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी संजय यादव पुत्र स्व० आजाद सिंह यादव निवासी 1250 राजीव नगर महावीरनपुरा नगरा थाना प्रेमनगर झांसी का निवासी है। मुकदमा अपराध सं० 507/2020 सरकार बनाम राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला आदि धारा-302, 307, 504, 506 ता०हि० थाना प्रेमनगर झांसी में पंजीकृत मुकदमे का वादी मुकदमा है, एवं मृतक आजाद सिंह यादव का पुत्र है। उपरोक्त मुकदमे में न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झांसी के न्यायालय में अभियुक्त राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला ने दिनांक 06.05.2021 को राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला बनाम सरकार मु०अ०सं०-507/2020 में अपना जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1138/2021 धारा-302, 307, 504, 506 ता०हि० में अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र में वास्ते सुनवाई दिनांक 25.05.2021 की तिथि नियत की गयी थी। उसके उपरान्त दिनांक 04.06.2021 की तिथि नियत की गई। फिर दिनांक 09.06.2021 की तिथि वास्ते सुनवाई नियत की गयी। पुनः दिनांक 11.06.2021 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी। तदोपरान्त दिनांक 14.06.2021 को न्यायाधीश श्रीमान् विमल प्रकाश आर्य अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-2 झांसी के न्यायालय में उपरोक्त अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा, सरकारी वकील एवं वादी मुकदमा के अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी। सम्पूर्ण सुनवाई के बाद अभियुक्त का उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु नियत किया गया।

Sanjay Yadav

8/107

2/13

गह कि दिनांक 16.06.2021 को मुकदमा जारी कर विगत मुकदमा कि उक्त न्यायाधीश महोदय ने तत्पश्चात् जमानत प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 22.06.2021 की तिथि नियत कर दी गयी है।

यह कि प्रार्थी वाली जब न्यायालय से वापस जा रही थी, तब अभियुक्त राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला के अभियुक्त के घर के पास अभियुक्त का पुत्र शरत यादव और उसके जी तीन अन्य साथी वान कर यह कि दिनांक 22.06.2021 को हमारे पिता की जमानत निश्चित रूप से ही जायगी क्योंकि हम लोगों की न्यायालय में सेटिंग ही चुकी है। अभियुक्त राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला को उसके प्रभाव व उसके असार के कारण आगे दिन बिना किसी युक्तियुक्त कारण के गेजिकल कालेज झांसी में भर्ती कर लिया जाता है, जहां स्वतंत्र रूप से रहकर अभियुक्त गवाहों को असार भंगकर रहा है। इसके पूर्व में भी प्रार्थी/वादी द्वारा धमकाये जाने बावजूत थाना प्रेमनगर में अपने पिता की हत्या होने के बाद मुकदमा पंजीकृत कराया था।

यह कि दिनांक 14.06.2021 को जमानत प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् जमानत प्रार्थना पत्र का विस्तारण न करके पुनः जमानत प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई हेतु न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 22.06.2021 की तिथि सुनवाई हेतु लगाई गई है, जिसमे स्वयं श्रीमान् विगत प्रकाश आर्य जी अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-2 महोदय झांसी सुनवाई करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के पुत्र द्वारा की गयी बातचीत सही प्रतीत होती है। ऐसे में न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-2 महोदय झांसी के न्यायालय में यदि जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई की जाती है तो प्रार्थी/वादी को न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला बनाम सरकार, जमानत प्रार्थना पत्र सं0- 1138/2021 धारा-302, 307, 504, 506 ता0हि0, थाना प्रेमनगर जिला झांसी मु0आ0सं0-507/2020 नियत

Sahjiv 4.11.21

(2/14)

8/11/21

तिथि 22.06.2021 की सुनवाई न्यायाधीश श्री विमल प्रकाश आर्य अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-2 महोदय झांसी के न्यायालय में न करवाकर झांसी के किसी अन्य न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई करवाये जाने की कृपा करें। श्रीमन् जी की अति कृपा होगी।

दिनांक - 15/06/2021

प्रार्थी

*Sanjay Yadav*

संजय यादव पुत्र स्व0 आजाद  
सिंह यादव निवासी 1250  
राजीव नगर महावीरनपुरा नगरा  
थाना प्रेमनगर झांसी, मो0-  
9453908104

संलग्नक-

प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट  
मु0अ0सं0- 507/2020 एवं मा0 जिला एवं  
सत्र न्यायालय झांसी द्वारा पारित आदेश/शेड्यूल  
दिनांक 05.06.2021 की छायाप्रति संलग्न है।

प्रतिलिपि-


- 1- माननीय न्यायमूर्ति प्रशासनिक जज महोदय झांसी क्षेत्र,  
मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज
- 2- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, झांसी

8/109


2/15

भारतीय न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10



INDIA NON JUDICIAL



UTTAR PRADESH

47AE 734841

शपथ पत्र

समक्ष- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, झांसी

शपथ पत्र मिनजानिब- संजय यादव पुत्र स्व० आजाद सिंह यादव निवासी 1250 राजीव नगर महावीरनपुरा नगरा थाना प्रेमनगर झांसी, मिन शपथकर्ता बाहल्फ निम्नलिखित वयान करता है कि:-

- 1- यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है।
- 2- यह कि शपथकर्ता मुकदमा अपराध सं० 507/2020 सरकार बनाम राजेन्द्र सिंह यादव अर्फ राजू जहरीला आदि धारा-302, 307, 504, 506 ता०हि० थाना प्रेमनगर झांसी में पंजीकृत मुकदमे का वादी मुकदमा है तथा हालात मुकदमा से पूर्णतः वाकिफ है एवं मृतक आजाद सिंह यादव का पुत्र है।
- 3- यह कि शपथकर्ता ने श्रीमान् जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके कुल कथन इस शपथ पत्र में ग्रहण करता है, संक्षिप्तता के कारण उसे दुबारा दोहराया नहीं जा रहा है, हूवहू उसी तरह एडॉप्ट कर रहा है। इस शपथ पत्र का भाग माना पढा व समझा जाय।

तस्दीक:- शपथ पत्र की धारा-1 लगायत 3 मेरी जानकारी में सब सच व सही है। इसमें कोई बात झूठ नहीं लिखी गयी है। यह तस्दीक आज दिनांक-15/06/2021 को कचहरी झांसी की गयी।

Sachay Yadav  
शपथकर्ता

7/10/21  
that the foregoing statement is true and correct and the contents of this affidavit have been explained and who is  
LAL RAM VERMA  
ADVOCATE  
JHANSI

7/10/21  
15/6/21  
2/16

8/110

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी

प्रथम जमा.प्रा.प.सं०- 1138 सन-2021

CNR NO- UPJS0100 2345 2021

राजेन्द्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला बनाम सरकार

धारा- 302/307/504/506 आई.पी.सी

थाना- प्रेमनगर, झाँसी

अ.सं.- 507/2020

दिनांक-07.05.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष पेश किया गया। इसको पंजीकृत किया जावे तथा शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को इस जमानत प्रार्थनापत्र की एक कापी उपलब्ध करायी जाये। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित केस डायरी / रिमांड शीट दिनांक 25/5/21 को उपलब्ध करवाये।

1/2 सत्र न्यायाधीश  
झाँसी

25/5/21 - लष्मापत्र भरिये v-c पेश हुआ। शर्पी/अभियुक्त के अधिवक्ता एवं शनक(c) उपस्थित। सपराधिक रिमिडस प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभाव हेतु समय चाहा गया।

सत्र लष्मापत्र वाम्ने सुनवाई/अभाव सपराधिक रिमिडस दिनांक 04/6/21 को पेश हो।

न्यायाधीश, झाँसी  
(उत्तर प्रदेश)

SJ  
857-3

04  
6  
21

70

26/3/21

26/3/21

70

24-03-21

28  
98  
2  
26C (A)  
04/6/21


रामेश सिंह यादव @ राज्य बहाली vs State

04/06/2021 - आण प्रार्थना पत्र पेश हुआ।  
इतिहासगत जांचे वर उपस्थित। अभियुक्त की  
बारे में स्थान 9B प्रस्तुत। स्वीकृत। वास्ते सुनवाई  
दिनांक 08/6/2021 को पेश हो।

✓  
SJ  
1/2 ADJ-1 (Ant)

9/6 08/6/21 - प्रार्थना पत्र पेश हुआ। सिन्धु  
सीटि के साथ वास्ते सुनवाई  
दिनांक 09-6-21 को पेश हो।

✓  
SJ  
1/2 (ADJ-1)



9/6/21 - शर्मापत्र पेश हुआ। राणी/अभि. के अभियुक्त  
द्वारा 11B स्थान शर्मापत्र बंधन हुए पास की तिथि  
दिये जाने हेतु पेश किया। शर्मापत्र वास्ते सुनवाई  
दि. 11/6/2021 को पेश हो।

✓  
1/2 SJ

11/6/21 - शर्मापत्र पेश हुआ। 12B स्थान शर्मापत्र वकी की ओर  
से ताम्रत - Adjournment application allowed to  
14/6/21.

1/2 SJ

14/6/21 - शर्मापत्र पेश हुआ। अग्रपक्ष उपस्थित। बंधन  
पूर्ण नहीं हो सकी। अतः शर्मापत्र वास्ते सुनवाई।  
बंधन दिनांक 23/6/21 को पेश हो।

1/2 SJ

8/112

2/18

सत्य प्रतिलिपि

26/3/22  
प्रधान न्यायाधिक

138/c.r.c.

17.06.21

श्री श्री कमलेश्वरी मूर्तिनाथ बाबा जिना - व्याख्यान श्रृंगी - से - निज श्रृंगी - Special Call for (वैधानिक) अधीन  
 पत्नी स्व. रंभोबाबा जिना - स्व. ममता गुमा निजो - व्याख्यान - सहाय/लवरी - Comments for End. Momb  
 निवारी शक्ति नाथ एवम् - मानविक श्रृंगी के विरुद्ध भारतीय वी. S. S. M. C. Consol. Gupta  
 श्रृंगी एवम् एवम् श्रेष्ठ करिबाली - करने एवं हरिजन भाईना उद्योग - के भारत - Judicial officer A.P. J.F.  
 वामा बबीना जिना साक्षी श्रृंगी के विरुद्ध श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान अन्तर्गत श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान  
 एवं विधायिका विधान अन्तर्गत श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान अन्तर्गत श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान

नवावत - श्रृंगी से एवम् श्री. एम्. श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान अन्तर्गत श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान

(10)

139/c.r.c.

18.06.21

संजय दांडे प्रमुख स्व. मुकुंदमा शरणबाबा से - 501/2020 श्रृंगी वामा  
 श्रृंगी विरुद्ध श्रृंगी राधेना श्रृंगी उर्फ राधे अहीना श्रृंगी  
 निवारी 1250 एवम् श्रृंगी के विरुद्ध श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान अन्तर्गत श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान  
 एवम् श्रृंगी के विरुद्ध श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान अन्तर्गत श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान  
 एवम् श्रृंगी के विरुद्ध श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान अन्तर्गत श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान  
 एवम् श्रृंगी के विरुद्ध श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान अन्तर्गत श्रृंगी के विरुद्ध - मानविक विधान

Call for Comments from the system  
 Concerned by 21.06.21  
 possibly by  
 10/11

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झांसी।

वेद्य

:सत्र परीक्षणीय सं० 11/ 17 राज्य बनाम डालचन्द्र उर्फ डल्लू आदि की पत्रावली स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय


सादर निवेदन करना है कि उक्त सत्र परीक्षणीय वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अभियुक्तगणों के अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर शुक्ल हैं, जो न्यायालय पर अनावश्यक दवाब बनाने का प्रयास करते रहते हैं और उक्त पत्रावली में पूर्व में तिथियाँ नियत करने के बावत भी दवाब डाल चुके हैं, और कहते हैं कि कचहरी में सभी अधिकारी वैसा ही करते हैं, जैसा मैं कहता हूँ, यदि कोई अधिकारी मेरे कहने से कार्य नहीं करता है तो मैं उनकी झूठी शिकायतें भी करता हूँ।

उक्त पत्रावली में भी उक्त अधिवक्ता दिनांक 01. 11. 2021 को आदेश पत्र लिखे जाने और पक्षकारों के चले जाने के पश्चात श्रीमान जी को झूठी शिकायत कर चुके हैं जो कागज सं० 60B के रूप में पत्रावली पर संलग्न है।

आज दिनांक 12. 11. 2021 को चन्द्र शेखर शुक्ल अधिवक्ता ने अपने जूनियर अधिवक्ता धर्मेन्द्र के माध्यम से न्यायालय में अभियुक्तगणों का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भिजवाया और छायाप्रति पर न्यायालय द्वारा पावती देने के लिए कहा। इससे ज्ञात होता है कि चन्द्रशेखर शुक्ल अधिवक्ता न्यायालय की गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और न्यायिक कार्य में जानबूझकर व्यवधान कारित कर रहे हैं। अधिवक्ता के उक्त निन्दनीय आचरण से मैं आहत हूँ, और अब मैं व्यक्तिगत रूप से उक्त पत्रावली का निस्तारण नहीं करना चाहता हूँ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने की कृपा करें।

भवदीय



(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

दिनांक: 12. 11. 2021

2/20

8/114



सं. ॥


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झांसी।  
( 14 वे दिनांक आयोग योजना निर्गत द्वारा गठित )।

विषय श्रीमान जी द्वारा दिनांक 21.03.2020 को न्यायालय एवं कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया जिसकी अनुपालन आख्या प्रशासनिक कार्यालय में दिनांक 02.07.2020 को विलम्ब से पहुंचाये जाने के संबंध में मांगे गये स्पष्टीकरण हेतु।

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जी द्वारा दिनांक 21.03.2020 को न्यायालय एवं कार्यालय व त्रैमासिक निरीक्षण किया गया था, जो टाईप होने के पश्चात लिपिकगण को प्राप्त कराया गया। उक्त त्रैमासिक निरीक्षण को लिपिकगण द्वारा पढ़कर एवं श्रीमान जी द्वारा निर्गत आदेशों एवं निर्देशों को अनुपालन हेतु नोट किया गया व त्रैमासिक निरीक्षण को तत्काल पेशकार के सुपुर्द कर दिया गया।

स्पष्टीकरण श्रीमान जी की सेवा सादर प्रेषित है।

प्रार्थी

  
26/07/2020

सौरभ दुबे

(वरिष्ठ लिपिक)

दिनांक - 20.08.2020

T.C. - 10  
25/9/20

2/21

8/115

है। में,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ) झांसी ।  
( 14 वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

विषय -


श्रीमान जी द्वारा दिनांक 21. 03. 2020 को न्यायालय एवं कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण कि-  
गया जिसकी अनुपालन आख्या प्रशासनिक कार्यालय में दिनांक 02. 07. 2020 को विलम्ब से  
पहुँचाये जाने के संबंध में माँगे गये स्पष्टीकरण हेतु ।

साहोदर,

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जी द्वारा दिनांक 21. 03. 2020 को न्यायालय एवं कार्यालय  
त्रैमासिक निरीक्षण किया गया था , जो टाईप होने के पश्चात लिपिकगण को प्राप्त कराया गया । उक्त त्रैमासिक निरी-  
क्षण लिपिकगण द्वारा पढकर एवं श्रीमान जी द्वारा निर्गत आदेशों एवं निर्देशों को अनुपालन हेतु नोट किया गया व त्रैमासि-  
क निरीक्षण को तत्काल पेशकार के सुपुर्द कर दिया गया ।

स्पष्टीकरण श्रीमान जी की सेवा सादर प्रेषित है ।

प्रार्थी

  
20. 08. 2020

आशीष कुमार शर्मा

( सहायक लिपिक )

दिनांक - 20. 08. 2020

- II   
25. 8. 20

2122

81116

माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय)  
( चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित ), झाँसी ।

विषय: श्रीमान जी द्वारा दिनांक- 21.03.2020 को कार्यालय एवं न्यायालय का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया, जिसकी अनुपालन आख्या प्रशासनिक कार्यालय में दिनांक- 02.07.2020 को विलम्ब से पहुँचाये जाने के संबंध में मांगे गये स्पष्टीकरण हेतु ।

महोदय

सादर अकात कराना है कि श्री मान जी द्वारा दिनांक-21.03.2020 को न्यायालय एवं कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया था, जो टाईप होने के पश्चात लिपिकगण को प्राप्त कराया गया ।

उक्त त्रैमासिक निरीक्षण को श्रीमान जी द्वारा निर्गत आदेश एवं निर्देशों को अनुपालन हेतु नोट कर लिपिक गण को सुपुर्द किया गया । उसके पश्चात लिपिकगण द्वारा प्राप्त कराये जाने के पश्चात लॉकडाउन होने के कारण व कोर्ट कक्ष के स्थानान्तरण के कारण उक्त त्रैमासिक निरीक्षण श्रीमान जी वरिष्ठ प्रशासनिक कार्यालय विलम्ब से भेजा गया ।

स्पष्टीकरण श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है ।

प्रार्थी  
20.8.20

मनोज कुमार साहू द्वितीय  
( पेशकार )

दिनांक- 20.08.2020

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय)  
( चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित ), झाँसी

F.T.C.-II RQ  
25.8.20

2/23

8/117

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): झांसी  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0120

P.S. (थाना): नवाबाद

Year (वर्ष): 2022

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक  
और समय): 23/03/2022 12:32 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	147
2	भा दं सं 1860	504
3	भा दं सं 1860	506
4	भा दं सं 1860	427
5	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)	3(2)(va)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): सोमवार Date from (दिनांक से): 21/02/2022 Date To (दिनांक तक): 21/02/2022  
Time Period (समय अवधि): पहर 6 Time From (समय से): 17:00 बजे Time To (समय तक): 17:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 23/03/2022 Time (समय): 12:32 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 030

2/24

8/118

समय):

23/03/2022

12:32 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 01 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): अदम तहरीर , झांसी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री छोटे लाल वर्मा एडवोकेट

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1992 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
		2125
		81119

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सचिव / महामंत्री , जिला अधिवक्ता संघ झाँसी , उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सचिव / महामंत्री , जिला अधिवक्ता संघ झाँसी , उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9450079289

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रमेश यादव एड0			1. अज्ञात, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	संदीप सिंह यादव एड0			1. अज्ञात, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
3	विकाश यादव एड0			1. अज्ञात, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
4	विजय यादव एड0			1. अज्ञात, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
5	संतोष दोहरे एड0			1. अज्ञात, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
6	दिशांत नायक एड0			1. अज्ञात, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
7	अरबिन्द पुत्र मोहन लाल एड0			1. अज्ञात, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
8	साठ से सत्तर अधिवक्तागण			1. अज्ञात, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

2/27

8/12/11

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
---------------------	--	---------------------------------------	------------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)  
(क्र.सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में , 1-श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय , झांसी 2- श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना नवाबाद झांसी विषय:- प्रार्थना पत्र वास्ते घटना की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु व जान माल की सुरक्षा हेतु । महोदय, सेवा में विनय है कि प्रार्थी जिला अधिवक्ता संघ झांसी का निर्वाचित महामंत्री है और सेवैधानिक मर्यादाओं के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारिगणों व अधिवक्तागणों का सम्मान करने का प्रबल पक्षधर है । दिनांक 21.02.2022 को प्रार्थी समय लगभग सायंकाल 05 बजे जिला अधिवक्ता झांसी के कार्यालय में संघ के अध्यक्ष उदय राजपूत एडवोकेट वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय मिश्रा एड0 , कोषाध्यक्ष अशोक पटैरिया एड0, कनिष्ठ सदस्य अमित शर्मा एड0 वरिष्ठ सदस्य संजीव चतुर्वेदी एड0, व मेरे जूनियर बृजभूषण राजपूत एड0, राजेश राजपूत एड0 आदि के साथ बैठकर जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय में लम्बित अधिवक्तागणों की शिकायतों का निस्तारण कर रहा था उसी समय बाहुबली पूर्व अध्यक्ष रमेश यादव एड0 गुण्डा प्रवृत्ति का संदीप सिंह यादव एड0, विकाश यादव एड0,विजय यादव एड0,संतोष दोहरे एड0, दिशांत नायक एड0, अरविन्द्र पुत्र मोहन लाल एड0, एवं साठ सत्तर अधिवक्तागण जिनको प्रार्थी सामने आने पर पहचान सकता है कार्यालय में घुस आये और प्रार्थी को भयभीत और आतंकित करते हुये कहने लगे कि सुन दिनांक 22.02.2022 को एफ0टी0सी0 द्वितीय विमल प्रकाश आर्या के विरुद्ध हम सभी लोग आमरण अनशन करने जा रहे है उसमें तुझे उपस्थित रहना पड़ेगा । इस बात को सुनकर प्रार्थी ने जिला अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारियों के सामने कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सारवान साक्ष्य के बिना इस प्रकार के अनशन जिला अधिवक्ता संघ की पद की

2/28

8/122



गरिमा के विरुद्ध हैं और किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध ऐसे आमरण अनशन में बिना उचित कारण के प्रार्थी कतई शामिल नहीं होगा चूंकि प्रार्थी जिला अधिवक्ता संघ झांसी का संवैधानिक गरिमा पूर्ण पद का महामंत्री है यह सुनकर संदीप यादव एड0 ने रिवलवर निकालकर उक्त सभी बाहुबली रमेश यादव व उनके साथी विकास यादव, विजय यादव, संतोष दोहरे, दिशांत नायक, अरविन्द्र तनय मोहनलाल तथा कुछ झगड़ालू किस्म के साठ सत्तर अधिवक्ताओं ने प्रार्थी को ललकारते हुये कहा कि साले माधरचोद चमरा वाले के गोली मार दो तो संदीप यादव ने अपनी रिवलवर से उत्तेजित होकर फायर किया जो मिस हो गया एवं उक्त सभी अधिवक्तागण उत्तेजित होकर जिला अधिवक्ता संघ झांसी के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे बाजी करने लगे और कार्यलय में घुसकर रखी कुर्सीयो की तोड़फोड़ करने लगे और जिला अधिवक्ता संघ झांसी के कार्यालय में रखे आवश्यक दस्तावेजो को उठाकर ले गये जिसका प्रार्थी व अन्य पदाधिकारियोने विरोध किया और दस्तावेज वापिस करने को कहा तो उक्त विपक्षीगण प्रार्थी को गंदी गंदी गलिया देते हुये बोले माधर चोट चमरा वाले अभी माईक से आमरण अनशन की घोषणा कर वरना तुझे जान से मार देंगे तथा रमेश यादव ने प्रार्थी को झूठे बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। प्रार्थी उपरोक्त लोगो के भय व आतंक से काफी घबरा गया और गस्त खाकर नीचे गिर पड़ा। प्रार्थी को पदाधिकारियों की मदद से निर्मल नर्सिंग हॉम झांसी में भर्ती कराया गया। यह कृत्य न केवल जिला अधिवक्ता संघ झांसी की गरिम को ठेस पहुंचाती है बल्कि प्रार्थी के अलावा जिला अधिवक्ता संघ झांसी का भी अपमान हुआ है। प्रार्थी बेड रेस्ट करने के बाद स्वस्थ होने पर विपक्षीगणो के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के लिये आया हूं प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। दिनांक 24.02.2022, 22-3-22 SD अपठनीय प्रार्थी SD अपठनीय छोटेलाल वर्मा एडवोक्ट ( सचिव / महामंत्री ) जिला अधिवक्ता संघ झांसी 9450079289 SHO नवाबाद कृ० तथ्यो की जाँच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। अपठनीय अग्रेजी IC/OP जेल कृ० जाँच कर विधिक आ० कार्यवाही करे। अपठनीय अग्रेजी SHO 12/03/2022 CO city N/A अपठनीय अग्रेजी SSP, HM/CC अभियोग पंजीकृत करे SD अपठनीय अग्रेजी 23.3.22 नोट:-टाईप शुदा प्रार्थना पत्र की नकल मुझ हे०मु० 319 आमिर अली के द्वारा अक्षरशः टाईप की गयी।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उप पुलिस नाम): CO CITY अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक  
No. (सं.): 9454401432 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,  
Police Station (थाना प्रभारी के  
हस्ताक्षर)

Name (नाम): SUDHAKAR  
MISHRA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 902730379

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

2/30 8/19/24



Beant Singh Kashyap

Beant Singh Kashyap

Beant Singh Kashyap

Beant Singh Kashyap

प्रदीप कुमार मोर्य बनाम राजेश कुमार थास  
 156(3)जा0 फौ0 थासा कोतवाली कल माननीय  
 सीजेएम साहब के यहां बहस के लिए लगी है हम  
 लिखित बहस पेश कर रहे तादी प्रदीप जी हमारे  
 बहनोई है कृपया सीजेएम साहब से प्रार्थना पत्र  
 स्वीकार करने के लिए कहने की कृपा करे।

WWW.LAWTREND.IN

Court No. - 47

Case :- CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 23 of 2022

Prisoner :- Sarayamiah

Respondent :- State Of U.P And 6 Others

Counsel for Prisoner :- Mohamud Khalid, Fawaz Kamal Yalga

Counsel for Respondent :- G.A.

Hon'ble Justice Kumar Mishra, J.

Hon'ble Justice Verma, J.



प्रेषक विमल प्रकाश आर्य  
अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झांसी।  
( चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में श्रीमान जिला अधिवक्ता महोदय:  
झांसी।

विषय:- श्री सन्तोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी ), द्वारा न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित करने व पक्षकारों व उनके अधिवक्ताओं आदि को भडकाने व उकसाने के सम्बन्ध में सूचना।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा श्री सन्तोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी) के कार्य, व्यवहार व आचरण के बावत दिनांक 07.02.2022 के पत्र द्वारा श्रीमान जी को अवगत कराया गया था। इसी क्रम में कुछ अन्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो निम्नवत हैं:-

01. यह कि उक्त अधिवक्ता अपने पदीय कृत्यों का उल्लंघन करते हुए और अपने पदीय कृत्यों से परे कार्य कर रहा है और पक्षकारों व उनके विद्वान अधिवक्ता को न्यायालय में कार्य करने से विरत रहने के बावत भडकाने व उकसाने का कार्य कर रहा है।

उक्त अधिवक्ता के कहने पर दिनांक 09.02.2022 को सत्र परीक्षणीय वाद सं० 165/2013 राज्य बनाम राकेश कुशवाहा आदि के मामले में अभियुक्तगण द्वारा एक अन्तरण प्रार्थनापत्र इस आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि " न्यायालय में वर्तमान शासकीय अधिवक्ता ( अर्थात् संतोष कुमार दोहरे) द्वारा बताया गया कि यदि उक्त मुकददमें में अभियुक्तगण को बरी होना है तो पीठासीन अधिकारी की मांग पूर्ति करना होगी अन्यथा उक्त मामले में गवाह Hostile होने के बावजूद भी सजा को तैयार रहना, उक्त कारण से न्याय मिलने में संदेह पैदा हो गया है।"

इससे यह साबित होता है कि संतोष कुमार दोहरे अपने पदीय कृत्यों का उल्लंघन कर रहा है और अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध झूठा प्रचार - प्रसार कर रहा है।

02. दिनांक 14.02.2022 को उक्त संतोष कुमार दोहरे द्वारा सत्र परीक्षण सं० 226/2002 राज्य बनाम नासिर आदि, 214/2013 राज्य बनाम गन्धर्व, 207/2016 राज्य बनाम हरगोबिन्द, 216/2017 राज्य बनाम संजू आदि व 103/2018 राज्य बनाम नन्दू उर्फ नन्द किशोर की पत्रावलियों में स्थगन प्रार्थनापत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उसने मेरे खिलाफ शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये हैं, और मैंने उसके खिलाफ जिला अधिकारी को उसके कृत्यों के बावत पत्र प्रेषित किया है और अपने न्यायालय से हटाये जाने की मांग की है, ऐसी स्थिति में यदि मुकददमें में निर्णय होगा तो अपने अनुसार

निर्णय होगा जिससे न्याय की हत्या होगी और जब तक उसे सक्षम अधिकारी द्वारा हटा नहीं दिया जाता तब तक वह बहस कर पाने में वह असमर्थ है, इससे यह ज्ञात होता है कि उक्त अधिवक्ता मेरे न्यायालय में कोई कार्य नहीं कर रहा है।

अपने उक्त प्रार्थनापत्रों में उक्त अधिवक्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक 11.02.2022 को तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र सं० 280/22 धर्मेन्द्र कुशवाहा बनाम राज्य में उसके बहस किये जाने के बावजूद न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया कि "शासकीय अधिवक्ता सन्तोष कुमार दोहरे उपस्थित प्रस्तुत उन्होंने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया।"

चूँकि उक्त अधिवक्ता द्वारा उक्त जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय कोई तर्क ही नहीं किया गया इसीलिए इस बावत उल्लेख किया गया।

03. श्री सन्तोष कुमार दोहरे के पूर्व आचरण के बावत अवगत कराना है कि विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि उक्त अधिवक्ता शिकायती प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो पूर्व में कुछ न्यायिक अधिकारियों की झूठी शिकायतें दवाब बनाने के उद्देश्य से कर चुका है।

04. विश्वसनीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त अधिवक्ता अपने चमार जाति का होने के आधार पर सामान्य जाति के लोगों के लोगों के विरुद्ध अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत झूठे व मनगढ़न्त आधारों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने का भय दिखाता है और उनसे धन ऐठता है और उक्त अधिवक्ता ने कई व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत मुकदमों पंजीकृत करा रखे हैं।

05. विश्वसनीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि सत्र परीक्षण सं० 07/2015 राज्य बनाम राजू नाई अन्तर्गत धारा 307, 120 B.I.P.C. व धारा 7 क्रि० ला एमेन्डमेन्ट एक्ट थाना नवाबाद जिला झाँसी मु० अ० सं० 419/2014 में वादी मुकदमा द्वारा उक्त अधिवक्ता (सन्तोष कुमार दोहरे) के विरुद्ध इस आधार पर प्रार्थनापत्र दिया गया कि शासकीय अधिवक्ता श्री सन्तोष कुमार दोहरे नामित मुल्जिमानों से मिले हुए हैं और उन्हें बचाने हेतु प्रयास कर रहे हैं जो ए०डी०जी०सी० (फौ०) का न केवल अमानवीय कृत्य है बल्कि कदाचरण की श्रेणी में आता है जबकि उक्त अधिवक्ता ने नामित मुल्जिमानों को तलब किये जाने का प्रार्थनापत्र जानबूझकर नहीं दिया है जो पद के दुरुपयोग में आता है। सन्तोष कुमार दोहरे का एक खास गुण है जो एक-दूसरे के आपराधिक मामले में बयान देते हैं, इसलिए उक्त अधिवक्ता अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, और इस आधार पर उन्हें उक्त मामले से हटाये जाने की माँग भी की गयी थी।

06. श्री मान यह भी अवगत कराना है कि उक्त अधिवक्ता मुझ अधोहस्ताक्षरी से भी कुछ मामलों में मेरे न्यायालय व अन्य न्यायालयों में विचाराधीन कुछ मामलों में सिफारिश करने के लिए आया था (जिसका प्रमाण आवश्यकता पड़ने व समय आने पर आपके व अन्य प्राधिकारी के समक्ष रखूंगा) जिसे मेरे द्वारा कई बार डॉट कर विश्राम कक्ष से भगाया भी जा चुका है।

07. उक्त अधिवक्ता की श्रीमान जी को शिकायत करने पर उक्त अधिवक्ता मुझ अधोहस्ताक्षरी ने

रजिश् व विद्देश का भाव रखने लगा है और मेरे न्यायालय में पक्षकारों व उनके अधिवक्ताओं को कार्य न करने व पत्रावलियों को स्थातांतरित करने के लिए उकसा रहा है और श्री चन्द्रशेखर शुक्ला व श्री प्रमोद कुमार शिवहरे एडवोकेट व कुछ अन्य लोगों के सहयोग से षडयन्त्र रच रहा है।


08. यह भी अवगत कराना है कि उक्त अधिवक्ता के मेरे न्यायालय में कार्यरत रहने के दौरान निकट भविष्य में यदि किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता है जिसके परिणामस्वरूप मेरे न्यायालय कार्य प्रभावित होता है तो उक्त अधिवक्ता श्री संतोष कुमार दोहरे उसके लिए विशेष रूप से दायी होगा और उसके उक्त साक्षी अधिवक्ता दायी होंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अधिवक्ता के उक्त कार्य, व्यवहार व आचरण के बावत अपने स्तर से शासन को सूचित करने व उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सूचना सादर ससम्मान प्रेषित।

भवदीय

दिनांक- 15. 02. 2022

  
( विमल प्रकाश आर्य )


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ) झाँसी।

( चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )।

प्रतिलिपि

1. श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी ) को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित कि उक्त अधिवक्ता के निन्दनीय कार्य, व्यवहार व आचरण को दृष्टिगत रखते हुये मेरे न्यायालय से अन्यत्र स्थानांतरित करने की कृपा करें।

दिनांक- 15. 02. 2022

  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ) झाँसी।

( चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )।

बेक

विमल प्रकाश आर्य

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झांसी।

(बौद्धही वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में

श्रीमान जिला अधिकारी

झांसी।

विषय:-

श्री सन्तोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), द्वारा न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित करने व पक्षकारों व उनके अधिवक्ताओं आदि को भड़काने, उकसाने एवं न्यायालय परिसर में धरना - प्रदर्शन व नारेबाजी कराने के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा श्री सन्तोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के कार्य, व्यवहार व आचरण के बावत दिनांक 07.02.2022 व दिनांक 15.02.2022 के पत्र द्वारा श्रीमान जी को अवगत कराया गया था। इसी क्रम में कुछ अन्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो निम्नवत हैं:-

01. यह कि फौजदारी स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र सं०-82/2022 संजू बनाम राज्य सरकार जरिये डी०जी०सी० (क्रिमिनल) में प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 408 दं०प्र०सं० दिनांकित 22/23.02.2022 में प्रार्थी संजू पुत्र स्व० सुरेश पाल निवासी ग्राम बाबई थाना पूँछ जिला झांसी, श्रीमान जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके पैरा 01 में यह कथन किया कि उसका एक वाद सत्र परीक्षण सं०-216/17 राज्य बनाम संजू आदि अन्तर्गत धारा 304 भा०दं०सं० थाना पूँछ मु०अ०सं० 101/17 न्यायालय ए०डी०जे० एफ०टी०सी०-2 के न्यायालय में विचाराधीन है।

पैरा 02 में यह कथन किया कि " प्रार्थी/ अभियुक्त को उसके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त न्यायालय में कार्यरत सहायक शासकीय अधिवक्ता सन्तोष दोहरे द्वारा बताया गया कि उसे न्यायालय द्वारा आपको सूचना हेतु बताया गया है कि अभियुक्तगणों को उपरोक्त प्रकरण में दोषमुक्त होना है तो सहायक शासकीय अधिवक्ता सन्तोष दोहरे के माध्यम से 5,00,000/- रूपया दिलवाओ अन्यथा सभी गवाह पक्षद्रोही होने के बावजूद भी इस मुकदमे में सजा कर दी जायेगी।"

पैरा 03 में यह कथन किया कि " प्रार्थी/ अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को उक्त समस्त तथ्यों से अवगत कराया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा कही गयी उक्त बात से प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को उक्त न्यायालय से न्याय मिलने की आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली उक्त न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय अथवा श्रीमान जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में अन्तरित होना आवश्यक है, जिससे अभियुक्त को न्याय मिल सके।"



सन्तोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के भ्रष्ट आचरण व पदीय कृत्यों का उल्लंघन करने पर श्रीमान जी को पूर्व में मेरे द्वारा अवगत कराया जा चुका है, उसके उपरान्त भी उक्त अधिवक्ता अपनी तुच्छ हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।

2. यह भी अवगत कराना है कि सन्तोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश को सत्र परीक्षण सं०- 153/2018 राज्य बनाम सुनील रायकवार अन्तर्गत धारा 41,411,414 IPC थाना प्रेमनगर की पत्रावली जोकि दिनांक 16.02.2022 को निर्णय हेतु नियत थी तथा सत्र परीक्षण सं०- 134/2014 राज्य बनाम उदय सिंह अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम एवं धारा 272 IPC थाना प्रेमनगर जोकि दिनांक 18.02.2022 को निर्णय हेतु नियत थी और उक्त पत्रावली 05 वर्ष पुरानी प्राचीन पत्रावली थी, के बावत दिनांक 14.02.2022 को गलत व झूठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने दिनांक 15.02.2022 को उक्त वाद में निर्णय पारित न करने की सलाह दी, जिसके अनुक्रम में उक्त पत्रावलियों में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया।

3. यह कि सन्तोष कुमार दोहरे ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश को दिनांक 14.02.2022 को सत्र परीक्षण सं०- (1) 153/2018, (2) 134/14, (3) 103/2018, (4) 104/2018, (5) 207/2016, (6) 226/02, (7) 216/17, (8) 214/13 (कुल 08 पत्रावलियाँ) के बावत झूठा शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

4. यह कि सन्तोष कुमार दोहरे ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश को दिनांक 11.02.2022 को सत्र परीक्षण सं०- (1) 122/18, (2) 123/18, (3) 124/18, (4) 224/17, (5) 132/14, (6) 207/16, (7) 244/17, (8) 77/18, (9) 416/12, (10) 283/10, (11) 284/10, (12) 361/15, (13) 72/19, (14) 18/19, (15) 415/12, (16) 316/17, (17) 23/19, (18) 226/02, (19) 154/16, (20) 153/18, (21) 34/15, (22) 290/19, (23) 291/19, (24) 294/19, (25) 95/18, (26) 214/13, (27) 260/19, (28) 203/18, (29) 366/15, (30) 226/18, (31) 295/19, (32) 173/18, (33) 138/12, (34) 139/12, (35) 152/19, (36) 86/19, (37) 213/17, (38) 168/13, (39) 120/18, (40) 15/19, (41) 333/17, (42) 54/18, (43) 202/15, (44) 288/15, (45) 289/15, (46) 290/15, (47) 291/15, (48) 292/15, (49) 243/15, (50) 103/18, (51) 104/18, (52) 99/18, (53) 326/15, (54) 290/13, (55) 90/19, (56) 186/11, (57) 147/13, (58) 67/16, (59) 297/16 व (60) 78/19 (कुल 60 पत्रावलियाँ) के बावत झूठा शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और उक्त पत्रावलियों के बावत यह झूठा एवं बनावटी कथन किया कि " पीठासीन अधिकारी इन मुकदमों को निगाह रखे हैं जिनमें पैसे मिल जायेंगे उन्हें छोड़ देंगे, जिनमें नहीं मिलेंगे उनमें सजा कर देंगे। न्याय व साम्यता के हित में

उक्त सत्र परीक्षण अपनी प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर उक्त न्यायालय से स्थानान्तरित करने का कथन किया है।"

सन्तोष कुमार दोहरे के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्रों में वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि उक्त सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अपनी मर्यादा के विपरीत कार्य कर रहा है और न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित कर रहा है तथा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को उक्त पत्रावलियों को स्थानान्तरित करने हेतु जानबूझकर उकसा रहा है, जबकि उक्त सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता स्वयं पूरी तरह से भ्रष्ट है।

5. यह भी अवगत कराना है कि उक्त अधिवक्ता मेरे न्यायालय में दिनांक 18. 02. 2022 तक बतौर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नियुक्त रहा, किन्तु उक्त अधिवक्ता ने दिनांक 04. 02. 2022 से दिनांक 18. 02. 2022 तक मेरे न्यायालय में कोई न्यायिक कार्य नहीं किया।

5. (i) यह कि उक्त अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 280/ 2022 धर्मन्द्र कुशवाहा बनाम राज्य अन्तर्गत धारा 307 IPC थाना कोतवाली जिला झांसी में दिनांक 11. 02. 2022 को अभियोजन की ओर से कोई भी बहस नहीं की।

5. (ii) यह कि उक्त अधिवक्ता ने (a) ST. No. 226/ 2002 राज्य बनाम नासिर आदि, (b) ST. No. 214/ 2013 राज्य बनाम गन्धर्व सिंह, (c) ST. No. 207/ 2016 राज्य बनाम हरगोविन्द, (d) ST. No. 216/ 2017 राज्य बनाम संजू आदि व (e) ST. No. 103 / 2018 राज्य बनाम नन्दू उर्फ नन्द किशोर की पत्रावली में दिनांक 14. 02. 2022 को स्थगन प्रार्थनापत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वह इस न्यायालय में बहस करने में असमर्थ है।

6. उक्त अधिवक्ता ने दिनांक 28. 02. 2022 को अपनी उपस्थिति पंजिका मेरे न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी श्री मोहित शर्मा को समय लगभग 11:30 बजे प्रदत्त की, उस समय न्यायालय कार्यरत थी, मेरे न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी ने मेरे निर्देश पर उक्त उपस्थिति पंजिका को मेरे न्यायालय कक्ष में मौजूद मेज पर रख दिया जिसे उक्त अधिवक्ता सन्तोष दोहरे ने दुष्टता व बल पूर्वक मेरे मेज से जबरदस्ती उठा लिया और उठाकर चला गया।

7. उक्त अधिवक्ता ने षड़यन्त्र रचकर न्यायालय परिसर में कुछ अधिवक्ताओं के माध्यम से दिनांक 22. 02. 2022 से दिनांक 24. 02. 2022 तक धरना - प्रदर्शन व नारेबाजी का कार्य कराया और न्यायिक कार्यों में व्यवधान कारित कराया।


8. जैसा कि मेरे द्वारा अपने पूर्व पत्र में उक्त अधिवक्ता के कार्य, व्यवहार व भ्रष्ट आचरण के बावत अवगत कराया था, इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि उक्त अधिवक्ता ने अन्य न्यायालयों में विचाराधीन कुछ पत्रावली के बावत अनुचित शिफारिश भी की थी जिसका प्रमाण उचित समय पर प्रदान किया जायेगा।

9. विश्वस्त सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त अधिवक्ता द्वारा रिट- सी- नं०- 42430/ 2014

दाखिल की गयी जो दिनांक 13. 02. 2020 को गैर हाजिरी में खारिज हो गयी थी और अन्तरिम आदेश यदि कोई हो तो निरस्त कर दिया गया था, उक्त अधिवक्ता द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 10. 07. 2020 को स्वीकृत हुआ ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि यदि उक्त अधिवक्ता के विरुद्ध श्रीमान जी द्वारा जाँच कराये जाने का कोई आदेश दिया गया है तो इस पत्र को भी उक्त जाँच में शामिल कराये जाने की कृपा करें जिससे उक्त अधिवक्ता द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विपरीत जो कृत्य व आचरण किया गया है अथवा कराया जा रहा है के बावत सही तथ्य आ सके ।

भवदीय

  
02.03.2022  
( विमल प्रकाश आर्य )

दिनांक- 02. 03. 2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ) झाँसी ।  
( चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

संलग्नक:-

1. सन्तोष कुमार दोहरे के पत्र दिनांकित 14. 02. 2022 की छायाप्रति ( 08 पत्रावलियाँ के संबंध में ) ।
2. सन्तोष कुमार दोहरे के पत्र दिनांकित 11. 02. 2022 की छायाप्रति ( 60 पत्रावलियाँ के संबंध में ) ।  
( कुल 02 ) ।



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

उपस्थित:- विमल प्रकाश आर्य, एच. जे. एस. ( JO Code- UP6488)

तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 280/ 2022

CNR No. - UPJS01- 000652- 2022

धर्मेन्द्र कुशवाहा

बनाम

उ०प्र० सरकार

S. T. No. - 286/ 2017

धारा- 307, 504, 506 IPC

थाना- कोतवाली, जिला झाँसी

मु०अ०सं०- 682/ 2016

**दिनांक- 11. 02. 2022 निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र धर्मेन्द्र कुशवाहा**

अभियुक्त धर्मेन्द्र कुशवाहा पुत्र स्व० द्वारका प्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम पाडरी थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी द्वारा तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया । अभियुक्त बराबर जमानत के बाद हाजिर आया तथा परीक्षण में सहयोग किया तथा गवाहों से जिरह की । अभियुक्त दिनांक 22. 09. 2021 से जिला कारागार में निरुद्ध है तथा बीमारी के कारण वह न्यायालय बराबर नहीं आ सका । अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के उपरान्त अनावश्यक स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा और उक्त प्रकरण के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय का सहयोग प्रदान करेगा । अभियुक्त के छोटे- छोटे बच्चे हैं, घर में परवरिश हेतु कोई नहीं है । उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त ने जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है । अभियुक्त धर्मेन्द्र कुशवाहा दिनांक 22. 09. 2021 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया ।

श्री सन्तोष कुमार दोहरे विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी) न्यायालय में उपस्थित हैं, किन्तु उनकी ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के बावत कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया ।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था और दौरान सुनवाई अभियुक्त गैर हाजिर हो गया और अभियुक्त धर्मेन्द्र कुशवाहा दिनांक 22. 09. 2021 से जिला कारागार में निरुद्ध है । सम्पूर्ण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा मु०- 75,000/- का निजी बन्धपत्र व इतनी की धनराशि की दो समान प्रतिभू निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है । अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करे । यदि वह किन्ही पर्याप्त कारणों से गैर हाजिर रहता है तो इस संबंध में अपना हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र समय से न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक- 11. 02. 2022

( विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

आशुलिपिक: धर्नजय कुमार

3/10

8/134